2025 / 279

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 42 / 2025 (राजसमन्द डिक्री)

पीरसिंह पिता हेमा दसाणा निवासी साथिया, तहसील बढ़बोर, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलार्थी

बनाम

1. भंवरसिंह पिता गुलाबसिंह दसाणा (मृतक) की बजाय
   1/1. उदयसिंह पुत्र भंवरसिंह
   1/2. फेफा बाई पुत्री भंवरसिंह
   1/3. मांगुसिंह पुत्र भंवरसिंह
   1/4. लक्ष्मणसिंह पुत्र भंवरसिंह
   1/5. सुन्दरबाई पुत्री भंवरसिंह
   1/6. सोहनसिंह पुत्र भंवरसिंह
   1/7. सोहनी बाई पुत्री भंवरसिंह
2. देवा पुत्र रता दसाणा निवासी साथिया, तहसील गढ़बोर जिला राजसमन्द (राज.)
3. नेनुबाई पत्नी नाहरसिंह दसाणा निवासी धनायका की भागल, तहसील गढ़बोर जिला राजसमन्द (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ़ दिनांक 03.04.2025 प्रकरण संख्या 14 / 2025 वाद पत्र

———::———

उपस्थित :– 1– श्री रतनसिंह खरवड़ अभिभाषक अपीलार्थी

———::———

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:48:34 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक 28.[illegible].2026

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम साथिया, तहसील गढ़बोर जिला

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

राजसमन्द में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के संयुक्त खाते के आराजी नम्बर 1112 रकबा 0.1945 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा होकर इसी अनुसार काबिज चला आ रहा, लेकिन मौके पर विधिवत् बंटवारा नहीं होने से पक्षकारों के मध्य विवाद होता है। अतः विवादित भूमि का विधिवत् विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 03.04.2025 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद स्वीकार किया, जिससे रुष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 17.07.2025 को प्रस्तुत की गई है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, किन्तु रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री रतनसिंह खरवड उपस्थित हुये एवं उनके द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई जो पत्रावली के रिकॉर्ड पर है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
उदयपुर

4. अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया की दिनांक 17.06.2025 को पटवारी द्वारा सूचना पत्र दिये जाने पर अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानकारी दिनांक से अपील समयावधि में प्रस्तुत कर दी गई है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

5. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अपील प्रस्तुत करने में अल्प विलंब हुआ है। अतः न्यायहित में प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:48:34 IST
Reason: SelfAttested

6. अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों एवं [illegible] में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि दिनांक 03 [illegible] 2005 को वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का एकपक्षीय निस्तांरण किया [illegible] गया, जबकि दिनांक 31.03.2005 को भंवरसिंह जीवित ही नहीं था, उसकी मृत्यु दिनांक 20.03.2025 को ही हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में वादी के अधिवक्ता को

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

वादी भंवरसिंह की नामकायमी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक था। चूंकि वादी भंवरसिंह व अपीलान्ट एक ही परिवार के सदस्य है। ऐसी स्थिति में वादी की मृत्यु के पश्चात अपीलान्ट समस्त सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहे, जिससे वे अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्पीकिंग आदेश पारित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृत व्यक्ति के पक्ष में डिक्री जारी की गई है, जो प्रारम्भ से शून्य प्रभावी होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावें।

7. हमने अभिभाषक अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र आदेशिका पर निर्णय पारित कर डिक्री जारी कर दी गई है, जो स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। इसके अलावा वादी भंवरसिंह की मृत्यु दिनांक 20.03.2025 को ही हो चुकी थी, किन्तु मृतक भंवरसिंह के वारिसान को बिना कायम मुकाम कराये तथा बिना साक्ष्य लिए एवं बिना प्रतिवादीगण को सुने अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक के पक्ष में प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी, जबकि कानूनन मृत व्यक्ति के पक्ष में अथवा उसके विरूद्ध डिक्री जारी नहीं की जा सकती। तदनुसार अधीनस्थ न्यायालय का आदेश व प्रारम्भिक डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

8. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 03.04.2025 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वादी भंवरसिंह के वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/7 को रिकॉर्ड पर लेकर तथा पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.03.2026 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 28.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:48:34 IST
Reason: SelfAttested

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर